[2018], 13 एससीआर 731

जांगीर सिंह

बनाम पंजाब राज्य

(2009 की आपराधिक अपील संख्या 2499) 31 अक्टूबर, 2018

[एन. वी. रमन्ना और मोहन एम. शांतनगौदर,

जेजे],

दंड संहिता, 1860: धारा 304 भाग I और 300 अपवाद II – निजी प्रतिरक्षा का अधिकार –लाभ – तथ्यों पर, अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में अपीलकर्ता और पीड़ित के बीच विवाद–पीड़ित ने अपीलकर्ता पर बंदूक चलाई और अपीलकर्ता ने अपने शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में पीड़ित पर गोली चला दी और पीड़ित को मार डाला – ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया कि अपीलकर्ता के पक्ष में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं बनता है – अपील पर, कहा गया: अपीलकर्ता द्वारा मृतक द्वारा उस पर राइफल के लक्ष्य से आसन्न खतरे के कारण, उसने मृतक पर गोली चलाई और उसे मार डाला – मृतक की छाती की चोट के स्थान को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून में उसे दी गई शक्ति को पार कर लिया और मृतक की मृत्यु कारित किया, जिसके खिलाफ उसने बिना किसी पूर्वधारणा के निजी बचाव के अधिकार का उपयोग किया – निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में सद्भाव का अभाव नहीं पाया जाता है – इसके मद्देनजर, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध को धारा 304 भाग 1 में परिवर्तित कर दिया गया है – अपीलकर्ता पहले ही धारा 304 भाग –1 के तहत किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा काट चुका है, उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने

कहा: 1.1 निजी बचाव के अधिकार का दावा अभियुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है, अगर खुद को या किसी अन्य व्यक्ति का बचाव करते समय असंगत नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि, अगर आरोपी ने अनुपातहीन नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो आरोपी को धारा 300 आईपीसी के अपवाद द्वितीय का लाभ दिया जा सकता है। [पैरा 11], [736–ई–एफ],

1.2 अपीलकर्ता के हाथों दुर्भाग्यपूर्ण घटना मृतक के साथ लगभग 15 मिनट तक विवाद के बाद हुई थी,

731 सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर।

अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में। मृतक और अपीलकर्ता–आरोपी दोनों आमने–सामने थे और एक–दूसरे से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे। इससे पता चलता है कि वे एक–दूसरे के चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और तदनुसार आशंका परिस्थितियों को समझ सकते थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक द्वारा उस पर राइफल के लक्ष्य से आसन्न खतरे के कारण, उसने मृतक पर गोली चलाई और उसे मार डाला। यह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के दायरे में आता है, हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उसी के वैध अभ्यास से परे है। अपीलकर्ता–अभियुक्त ने आसन्न खतरे से खुद को बचाने के लिए शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी छाती पर गोली चलाने का विकल्प चुना। हालांकि, आरोपी मृतक के महत्वपूर्ण हिस्से से बच सकता था। लेकिन निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में सद्भावना का अभाव नहीं पाया जाता है। हालांकि, चोट के स्थान (यानी मृतक की छाती) के संबंध में, यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून में उसे दी गई शक्ति को पार कर लिया है और मृतक की मृत्यु का कारण बना है, जिसके खिलाफ उसने बिना किसी पूर्वधारणा के निजी बचाव के अधिकार का उपयोग किया था। हमलावर की मृत्यु के कारण अनुपातहीन नुकसान के मामलों में, धारा 304 भाग 1 के तहत सजा उचित सजा है। इस प्रकार, अभियुक्त–अपीलाकर्ता द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत आएगा। [पैरा 12, 13], [737–डी–एच; 738–ए–बी],

1.3 सभी भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित धारा 302 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है और इसे धारा 304 भाग–1 आईपीसी में परिवर्तित किया जाता है। [पैरा 17], 739–सी–डी,

1.4 अपीलकर्ता ने 10 साल का वास्तविक कारावास काट लिया है जो संबंधित राज्य जेल मैनुअल के अनुसार 18 साल के कारावास के बराबर है। चूंकि आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत किए गए अपराध के लिए अधिकतम सजा 10 साल है और अपीलकर्ता पहले ही 10 साल का वास्तविक कारावास काट चुका है। अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 18], [739–डी–ई],

विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1971) 3 एससीसी

244, जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य (2004) 2 एससीसी 203,

दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य (2010) 2 एससीसी 333,

भंवर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2008) 16 जांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य

एससीसी 657, उदयकुमार पंढरीनाथ जाधव उर्फ

मुन्ना बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 5 एससीसी 214:

त्रिलोक सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1995 एससीसी (

सीआरआई) 158, पाथुभा गोविंदजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य

(2015) 4 एससीसी 363 – संदर्भित।

(1971) 3 एससीसी 244 पैरा 10 (2004) 2 एससीसी 203 को संदर्भित पैरा 10 (2010) 2 एससीसी 333 को संदर्भित पैरा 10 (2008) 16 एससीसी 657 को संदर्भित पैरा 11 (2008) 5 एससीसी 214 को संदर्भित पैरा 14 1995 एससीसी (सीआरआई) 158 को संदर्भित किया गया है।
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील
2009 का सं0 2499।

1994 की आपराधिक अपील संख्या 160–डीबीए में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 07.04.2008 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी भारद्वाज।

सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय द्वारा सुनाया गया।

एन. वी. रमना, जे. 1. यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंढ़ीगढ़ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 160–डीबीए/1994 में पारित दिनांक 07.04.2008 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश, फरीदकोट द्वारा 14.05.1993 को पारित बरी करने के फैसले को उलट दिया है और अपीलकर्ता–आरोपी को धारा 302 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी ठहराया है।

2. सत्र न्यायाधीश, फरीद कोर्ट ने दिनांक 14.05.1993 के फैसले के तहत अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों से इस आधार पर बरी कर दिया कि अपीलकर्ता ने अपने शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक पर गोली चलाई। इस प्रकार, उन्हें आईपीसी की धारा 302 के तहत दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। हालांकि, अपील पर, उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायाधीश के निष्कर्षों को इस आधार पर उलट दिया कि अपीलकर्ता की ओर से निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं बनता है। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित, यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 379 के तहत अधिमानित की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018], 13 एस.सी.आर.।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि विचाराधीन घटना 05.06.1991 को शाम लगभग 7.30 बजे हुई थी, जिसमें अपीलकर्ता ने जसवंत सिंह (जिसे बाद में ''मृतक'' कहा जाता है) को बोर 303 की सेल्फ लोडिंग राइफल से गोली मार दी थी। अपीलकर्ता और मृतक पंजाब होम गार्ड स्वयंसेवकों के रूप में एक साथ काम कर रहे थे। यह घटना तब हुई जब मृतक ने अपीलकर्ता से 100 रुपये की मांग की, जो अपीलकर्ता द्वारा पहले उधार लिया गया था। अपीलकर्ता इस तथ्य के कारण क्रोधित हो गया कि पंजाब होम गार्ड के अन्य सहयोगियों के सामने उधार के पैसे की मांग की गई थी और यह अपीलकर्ता के लिए अपमानजनक था। अपीलकर्ता का मृतक के साथ लगभग 15 मिनट तक विवाद हुआ, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उस पर गोली चला दी और परिणामस्वरूप, उसकी मृत्यु हो गई।

4. अपीलकर्ता–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सबूतों को एक अलग तरीके से फिर से सराहना करके और एक अलग दृष्टिकोण लेते हुए ट्रायल कोर्ट को बरी करने के सुविचारित और विस्तृत फैसले को उलट दिया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह निजी बचाव के अधिकार का एक स्पष्ट मामला था, इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 आईपीसी के तहत सजा अनुचित है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी–राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील किसी भी ठोस कारणों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसे अनुमानों और अनुमानों पर दायर किया गया है। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में संबंधित गवाहों अर्थात् पीडब्ल्यू –3 और पीडब्ल्यू –4 के सभी भौतिक साक्ष्य और गवाही को ध्यान में रखा गया है और यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

6. इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री को देखने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पूरी तरह से पीडब्ल्यू –3 (एएसआई सुखदेव सिंह) के साक्ष्य पर आधारित है, जो घटना के गवाह हैं। इसलिए, पीडब्ल्यू–3 के साक्ष्य इस माननीय न्यायालय द्वारा जांच की मांग करते हैं।

7. पीडब्ल्यू–3 के साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि घटना के समय मृतक के पास 303 बोर की राइफल थी। इसलिए भी आरोपी के पास राइफल थी। पीडब्ल्यू –3 अपीलकर्ता जांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य से लगभग 60 फीट की दूरी पर खड़ा था। और वह मृतक जहां घटना हुई है। जिरह में उसने स्वीकार किया है कि गोली चलने की आवाज सुनने पर ही उसने आरोपी और मृतक की तरफ देखा। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमलावर कौन था और आरोपी और मृतक के बीच विवाद हुआ था या नहीं। पीडब्ल्यू–3 द्वारा जिरह में दिए गए उत्तरों के रुझान को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसने यह नहीं देखा कि घटना कैसे शुरू हुई और जारी रही। इस प्रकार, पीडब्ल्यू –3 के साक्ष्य से कोई स्पष्ट कटौती नहीं हो सकती है कि आरोपी ने मृतक पर पूर्वाभास के साथ गोली चलाई।

8. दूसरी ओर, पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य निर्दिष्ट करते हैं कि मृतक ने आरोपियों पर एक राइफल को निशाना बनाया था, जाहिर है कि उनके बीच विवाद के कारण, जिसके बाद आरोपी ने बिना किसी पूर्व धारणा के अचानक मृतक पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक का इस्तेमाल किया। पीडब्ल्यू –4 के साक्ष्य आरोपी द्वारा किए गए बचाव की पुष्टि करते हैं जैसा कि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसके बयान में पाया गया है।

9. पीडब्ल्यू 3 और 4 के सामूहिक साक्ष्य से पता चलता है कि यद्यपि घटना आरोपी द्वारा मृतक की ओर चलाई गई गोली के कारण हुई है और मृतक की जान चली गई, लेकिन आरोपी का कृत्य आईपीसी की धारा 300 के अपवाद II के तहत आएगा, क्योंकि आरोपी द्वारा गोली मृतक द्वारा आरोपी की ओर बंदूक तानने के उपरोक्त तथ्य के कारण थी, यानी, आरोपी के दिमाग में मृतक द्वारा बनाई गई खतरे की धारणा के कारण।

10. आगे की कार्यवाही करने से पहले, इस अधिकार की 'मात्रा' निर्धारित करने के लिए, आईपीसी की धारा 300 के अपवाद II के अनुसार, अभियुक्त को निजी बचाव के अधिकार का लाभ देते हुए, उन चीजों को सामने रखना आवश्यक है जिन पर न्यायालयों द्वारा विचार किया जाना है। विद्या सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय अवधारित किया कि–

''7. ... आत्मरक्षा का अधिकार एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है। इसका

एक सामाजिक उद्देश्य है। इस अधिकार को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए

। इसके अलावा, जेम्स मार्टिन बनाम केरल राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अवधारित किया गया–

18....परिस्थितियों का आकलन आस–पास की उकसाहट और संकट की स्थिति का सामना करने में क्षण भर के भ्रम से संबंधित अभियुक्त के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए न कि किसी सूक्ष्म और रूढ़िवादी जांच द्वारा। ''(1971) 3 एससीसी 244 ? (2004) 2 एससीसी 203

सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018], 13 एस.सी.आर.
इस प्रश्न का निर्णय करते समय कि क्या मौके पर मौजूद परिस्थितियों में आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया गया था, यह अनुचित होगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा माना गया है, अलग निष्पक्षता द्वारा परीक्षण को अपनाना जो एक अदालत कक्ष में इतना स्वाभाविक होगा, या कि जो एक पूर्णतया शांत दर्शक के लिए नितांत आवश्यक प्रतीत होगा। खुद के लिए खतरे की उचित आशंका का सामना करने वाले व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह अपने बचाव को किसी भी अंकगणितीय सटीकता के साथ कदम से कदम मिलाकर संशोधित करे, जो सामान्य समय में या सामान्य परिस्थितियों में एक आदमी की सोच में आवश्यक है। इसी तरह, दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय ने इससे भी आगे बढ़कर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग को निर्धारित करने के लिए कुछ मापदण्ड निम्नलिखित शब्दों में दिए– ''56. यह पता लगाने के लिए कि क्या निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध है या नहीं, आरोपी को मिली चोटें, उसकी सुरक्षा के लिए खतरे की आशंका, आरोपी द्वारा की गई चोटें और परिस्थितियां कि क्या आरोपी के पास सार्वजनिक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय था, सभी प्रासंगिक कारक हैं। (जोर दिया गया) 11. इसके अलावा, यह एक स्थापित कानून है कि निजी बचाव के अधिकार का दावा अभियुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता है, अगर खुद को या किसी अन्य व्यक्ति का बचाव करते समय असंगत नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि, अगर आरोपी ने अनुपातहीन नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो आरोपी को आईपीसी की धारा 300 के अपवाद II का लाभ दिया जा सकता है। भंवर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में इस कथन को अच्छी तरह से समझाया गया है। जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं – 50. निजी बचाव पक्ष की याचिका अपीलकर्ताओं द्वारा लाई गई है। इस दलील को समग्रता में सफल होने के लिए, यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में निजी बचाव का अधिकार मौजूद था, और यह अधिकार मृत्यु कारित करने का कारण बनता है। (2010) 2 एस.सी.सी. 333।

(2008) 16 एस.सी.सी 657।

जांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य

[एन. वी. रमना, जे.],

इसलिए, यदि अदालत इस याचिका को खारिज कर देती है, तो ऐसा करने के दो संभावित तरीके हो सकते हैं। एक तरफ, यह माना जा सकता है कि शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मौजूद था। हालांकि, आवश्यकता से अधिक नुकसान हुआ था या, वैकल्पिक रूप से, यह अधिकार मृत्यु का कारण नहीं था। इस तरह के फैसले के परिणामस्वरूप धारा 300, अपवाद 2 लागू हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी, व्यक्ति या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के सद्भाव में, कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक है और उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जिसके खिलाफ वह बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रतिरक्षा के इस अधिकार का उपयोग कर रहा है और इस तरह के बचाव के उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक क्षति कारित करने के किसी भी आशय के बिना है। दूसरी स्थिति यह है कि तथ्यों की मूल्यांकन करने पर, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को अस्तित्व में नहीं रखा जाता है। (जोर दिया गया) 12. अब, इस सवाल पर विचार करने के लिए कि अपीलकर्ता–अभियुक्त द्वारा निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग वैध था या नहीं, यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता के हाथों दुर्भाग्यपूर्ण घटना अन्य सहयोगियों की उपस्थिति में मृतक के साथ लगभग 15 मिनट तक विवाद के बाद हुई थी। मृतक और अपीलकर्ता–आरोपी दोनों आमने–सामने थे और एक–दूसरे से 10 फीट की दूरी पर खड़े थे। इससे पता चलता है कि वे एक–दूसरे के चेहरे के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे और तदनुसार आशंका परिस्थितियों को समझ सकते थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक द्वारा उस पर राइफल के लक्ष्य से आसन्न खतरे के कारण, उसने मृतक पर गोली चलाई और उसे मार डाला। यह, हमारी राय में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के दायरे में आता है, हालांकि, यह स्पष्ट रूप से उसी के वैध अभ्यास से परे है। अपीलकर्ता–अभियुक्त ने आसन्न खतरे से खुद को बचाने के लिए शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से यानी छाती पर गोली चलाने का विकल्प चुना। हालांकि, आरोपी मृतक के महत्वपूर्ण हिस्से से बच सकता था। लेकिन, हम निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में सद्भाव का अभाव नहीं पाते हैं। हालांकि, चोट के स्थान (यानी मृतक की छाती) के संबंध में, यह स्पष्ट है कि आरोपी ने कानून में उसे दी गई शक्ति को पार कर लिया है और मृतक की मृत्यु का कारण बना है, जिसके खिलाफ उसने बिना किसी पूर्वधारणा के निजी बचाव के अधिकार का उपयोग किया था। इस प्रकार आरोपी–अपीलकर्ता द्वारा कारित अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत आता है।, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018], 13 एस.सी.आर.

13. अनुपातहीन नुकसान पहुंचाने और निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से अधिक के इस पहलू पर कानून पूरी तरह से स्पष्ट है। हमलावर की मृत्यु के कारण अनुपातहीन

नुकसान के मामलों में, धारा 304 भाग 1 के तहत सजा उचित सजा है। यह इस न्यायालय द्वारा मामलों के वर्गीकरण में किया गया है।

14. उदयकुमार पंढरीनाथ जाधव उर्फ मुन्ना बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी कर दिया और आईपीसी की धारा 304 भाग 1 में दोषसिद्धि को निम्नलिखित टिप्पणियों के अनुसार संशोधित किया।

''5. हम सबूतों से देखते हैं कि मृतक न केवल कराटे विशेषज्ञ था, बल्कि चाकू से लैस था और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अपीलकर्ता ने अपने हाथों पर चोट की आशंका जताई। इसलिए हमारी राय है कि इस स्तर पर अभियोजन पक्ष के लिए सबसे अच्छा यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने निजी बचाव के अधिकार को पार कर लिया था। इसलिए हम आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हैं, अपीलकर्ता को धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप से बरी करते हैं और आईपीसी की धारा 304 (1) के तहत उसकी सजा को संशोधित करते हैं, इस पृष्ठभूमि में कि छाती पर लगी घातक चोट शरीर में गहराई तक घुस गई थी। हम अपीलकर्ता को 7 साल के कठोर कारावास की सजा भी देते हैं। कारावास का दूसरा भाग वैसा ही रहेगा जैसा की है।

15. इसके अलावा, त्रिलोक सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 302 आईपीसी से धारा 304 भाग 1 आईपीसी में दोषसिद्धि के संशोधन के बारे में टिप्पणियां कीं और जो निम्नानुसार है–

''6। हमने पीडब्ल्यू 24 और पीडब्ल्यू 25 के समस्त साक्ष्यों का परिशीलन किया है। पीडब्ल्यू 24 का साक्ष्य इस आशय का है कि उसने आरोपी और मृतक को झगड़ा करते देखा और उसने घर पर जाकर पीडब्ल्यू 25 को सूचित किया... लेकिन सवाल यह है कि क्या वह मौत का कारण बनने की हद तक जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की स्थिति में यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आरोपी को आत्मरक्षा के अपने अधिकार को संशोधित करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर गया और चाकू लाया और मौत का कारण बना, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार को पार नहीं किया।

(2008) 5 एससीसी 214

1995 एससीसी (सीआरआई) 158।

जांगीर सिंह बनाम पंजाब राज्य [एन. वी. रमना, जे.] ,

हम अपीलकर्ता को धारा 100 आईपीसी के तहत लाभ नहीं दे सकते

हैं और उसके द्वारा किया गया कार्य केवल धारा 300 आईपीसी

के अपवाद को आकर्षित करता है। इसलिए

उसके द्वारा किया गया अपराध आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत हो सकता

है।

(जोर दिया गया)

16. इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा पाथुभा गोविंदजी राठौड़ बनाम गुजरात राज्य के मामले में लिया गया था जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि आरोपी ने निजी रक्षा के अपने अधिकार का उल्लंघन किया था। इस प्रकार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था और आरोपी को आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत दोषी ठहराया गया था।

17. इस प्रकार, ऊपर दिए गए सभी भौतिक तथ्यों, चर्चाओं और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करना और इसे आईपीसी की धारा 304 भाग –1 में परिवर्तित करना उचित समझते हैं।

18. यहां, यह हमारे ध्यान में लाया जाता है कि अपीलकर्ता ने 10 साल का वास्तविक कारावास भुगत लिया है जो संबंधित राज्य जेल मैनुअल के अनुसार 18 साल के कारावास के बराबर है। चूंकि आईपीसी की धारा 304 भाग–1 के तहत किए गए अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा 10 साल है और अपीलकर्ता को पहले ही 10 साल का वास्तविक कारावास काट लिया गया है, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

19. इस प्रकार, तदनुसार, अपील निस्तारित किया जाता है।

अपील निस्तारित। 7 (2015) 4 एससीसी 363 पैरा 15, 17–18 पर।

निधि जैन

(विजय शंकर गौतम)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाह्य न्यायालय बहेड़ी, जनपद बरेली।